

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

सं 78 (विनियोग)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		...	38.71	38.71	...	38.25	38.25	...	42.00	42.00	...	46.00	46.00
	
		...	38.71	38.71	...	38.25	38.25	...	42.00	42.00	...	46.00	46.00
1. राष्ट्रपति	2012	...	0.18	0.18	...	0.18	0.18	...	0.18	0.18	...	0.18	0.18
2. सचिवालय	2012	...	13.07	13.07	...	13.85	13.85	...	14.00	14.00	...	14.29	14.29
3. अन्य व्यय	2012	...	25.46	25.46	...	24.22	24.22	...	27.82	27.82	...	31.53	31.53
कुल जोड़		...	38.71	38.71	...	38.25	38.25	...	42.00	42.00	...	46.00	46.00

1. भारत के महामहिम राष्ट्रपति के संबंध में वेतन एवं भत्तों का प्रावधान करता है।
2. कार्यालय व्यय सहित सचिवालय के स्टाफ और अधिकारियों के संबंध में स्थापना संबंधी व्यय का प्रावधान करता है।
3. स्टाफ और अधिकारियों के वेतन, कार्यालय व्यय, वाहनों की खरीद और रख-रखाव आदि के कारण महामहिम राष्ट्रपति के घरेलू संस्थापना से संबंधित व्यय का प्रावधान करता है।